

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 198 / 2010 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-सी, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आई.आर.एन्टरप्राइजेज,  
जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री कानसिंह,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 51/आरवेट/जेयूसी/08-09 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सी, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 एवं 24 के तहत रिवर्स टैक्स राशि रुपये 36,248/-, एवं ब्याज राशि रुपये 6,867/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा साबुत दाल की खरीद की जाकर उससे दाल एवं चूरी कोरमा का विनिर्माण किया जाता है। जिसमें दाल कर योग्य तथा चूरी कोरमा कर मुक्त है। अपीलार्थी द्वारा निर्मित चूरी कोरमा पर सशक्त अधिकारी द्वारा अनुपातिक आधार पर कर मुक्त बिक्री चूरी कोरमा पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स ₹ 36,248/- ब्याज ₹ 6,867/- आरोपित कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.06.2009 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित रिवर्स टैक्स एवं ब्याज को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा साबुत दाल की खरीद की जाकर उससे दाल एवं चूरी कोरमा का विनिर्माण किया गया, जिसमें दाल कर योग्य तथा चूरी कोरमा कर मुक्त है। अपीलार्थी ने साबुत दाल की खरीद की है तथा इस प्रकार से की गयी खरीद पर

लगातार.....2



इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, तो कर मुक्त बिक्री चूरी कोरमा पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार्य होगा। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स कर व ब्याज अपास्तनीय है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा साबुत दाल की खरीद कर मूल रूप से दाल का निर्माण किया जाता है, इस पर सह उत्पाद के रूप में "चूरी कोरमा" का निर्माण भी हो जाता है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग से चूरी कोरमा का निर्माण नहीं किया जाता है, तो सशक्त अधिकारी द्वारा लगाया गया रिवर्स टैक्स एवं आरोपित ब्याज अपास्तनीय है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा साबुत दाल की खरीद की जाकर उससे दाल का निर्माण किया जाता है, इसके साथ सह उत्पाद के रूप में चूरी कोरमा का निर्माण भी हो जाता है। चूंकि "चूरी कोरमा" कर मुक्त है इसलिए सशक्त अधिकारी द्वारा "चूरी कोरमा" के निर्माण में साबुत दाल का प्रयुक्त होना मानकर जो रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किया उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

7. उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित सशक्त अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है।

अधिनियम की धारा 18(1)(e) निम्न प्रकार से है—

**18. Input Tax Credit :-** (1.) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

(e) being used as raw material [except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.



अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि के दौरान की गई दाल की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल "चूरी कोरमा" की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है।

8. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

मदनलाल मालवीय  
(सदस्य)